वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 27.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आपका मेट्रो, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन, राष्टीय सहारा, आज," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 27.10.2024

वीडीए ने जीती कानूनी लड़ाई

वाराणसी। वीडीए ने पांडेयपुर आवासीय योजना के प्रथम चरण में आवंटित फ्लैट संख्या एमएम-14 की कानूनी लड़ाई जीत ली है। मामले में ममता जायसवाल ने 15 नवंबर 2018 को वाद दाखिल किया था। अब अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत संख्या-2 ने इसे खारिज कर दिया। साथ ही वीडीए के निर्णय को बरकरार रखा। संवाद

अमर उजाला –दि0 27.10.2024

8 बीघे की अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए ने शनिवार को अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर कार्रवाई की। जोन-5 वार्ड-रामनगर में जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने 8 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। उधर, वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर दूरी तक स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में गोपाल यादव व अन्य द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को सील किया। संवाद

हिन्दुस्तान –दि0 27.10.2024

अवैध प्लॉटिंग और निर्माण ध्वस्त

पड़ाव के खजूर गांव में आठ बीघे में कराई जा रही थी प्लॉटिंग,वीडीए ने की कार्रवाई

पड़ाव क्षेत्र के खजूर गांव में आठ बीघे में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कराते वीडीए के अधिकारी ।

पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्ती के बाद भी पड़ाव, अलीनगर सहित आसपास के इलाकों में बिना नक्शा पास और अनुमति के धड़ल्ले से निर्माण और प्लाटिंग काम चल रह है।

शिकायत पर शनिवार को वीडीए की टीम अलीनगर थाना क्षेत्र के खजूरगाव पहुंची, जहां तकरीबन आठ बीघे में अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। वीडीए के अधिकारियों ने उसे जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। वीडीए की इस कार्रवाई से अवैध ढंग से प्लाटिंग करने और निर्माण कराने वालों में हड़कंप मचा रहा।

वीडीए को शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का धंधा तेजी से चल रहा है। लगातार शिकायत के बाद वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम व पुलिस के साथ शनिवार को मौके पर पहुंची। जहां आठ बीघे में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार ने बताया कि अवैध प्लाटिंग की शिकायत काफी समय से मिल रही थी। उसी क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वीडीए की सीमा में बिना अनुमति होने वाले निर्माण को हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वीडीए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी। इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता पीएन दुबे के अलावा पुलिस मौजूद रही।

हिन्दुस्तान –दि0 27.10.2024

रोप वे: सप्ताहभर में शिफ्ट कराएं तार और पाइप

वाराणसी। रोप-वे प्रोजेक्ट के संबंध में शुक्रवार को वीडीए मुख्यालय में विभिन्न विभागों की बैठक हुई। वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रोजेक्ट की प्रगति जानी गई। वीडीए सचिव ने सभी संबंधित विभागों को पाइपलाइन, तारों को एक सप्ताह में शिफ्ट कराने को कहा। वहीं अब हर हफ्ते कार्य की समीक्षा होगी। बैठक में एसई अजय पवार, लाला सतीश सुमन रहे।

हिन्दुस्तान –दि0 27.10.2024

रेस्टोरेंट-बैंक्वेट हॉल किया सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को कई अवैध निर्माण सील किए गए।

जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं जेई अतुल मिश्रा ने बताया कि वरुणा तट से 50 मीटर दूर ग्रीन बेल्ट लगभग 1000 वर्ग मीटर में भूतल पर बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट का संचालन टीन शेड लगाकर किया जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी में दोनों को सील कर दिया गया। वहीं, वार्ड-रामनगर के खजूरगांव (चंदौली) में आठ बीघे में हुई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई।

जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार और अवर अभियन्ता पीएन दुबे ने बताया कि पिछल कई महीने से प्लाटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध निर्माण के साथ अवैधप्लाटिंग भी नहीं होने दी जाएगी।

हिन्दुस्तान –दि0 27.10.2024

वीडीए के खिलाफ दायर अपील खारिज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की पांडेयपुर आवासीय योजना के प्रथम चरण में संपत्ति विवाद से जुड़ी अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। वादिनी ममता जयसवाल ने अपील दाखिल की थी। इस मामले में, वाराणसी सिविल न्यायालय (सीडी) ने दावे के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत से इनकार कर दिया था। इसके बाद ममता जायसवाल ने निर्णय के खिलाफ दोबारा अपील की थी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 27.10.2024

प्रतिबंधित क्षेत्र में रेस्टूरेंट के विरुद्ध होगी ध्वस्तीकरण कारवाई

वरुणा किनारे प्रतिबंधित क्षेत्र में भवन का निर्माण करने वालों के विरुद्ध विकास प्राधिकरण सख्त हो गया है। विभाग ने वरुणा के ५० मीटर दायरे में प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण किये गये भवन स्वामियों को नोटिस भेजी गयी है जिसमें उनसे चार नवंबर तक स्वयं भवन खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में विप्रा के एक अभियंता ने बताया कि ५० मीटर दूरी तक ग्रीन बेल्ट और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गोपाल यादव एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में वहां पर भूतल में बैंकवेट और रेस्टूरेंट हाल का संचालन टीन शेड डालकर कर रहा है। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सिंह गौरव प्रकाश और अवर अभियंता अतुल मिश्र ने कैण्ट थाने की पुलिस के साथ रेस्टूरेंट और बैंकवेट हाल में बैठे लोगों को बाहर करने के बाद उसे सील कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसे ध्वस्तीकरण का नोटिस थमाने के बाद भवन स्वामी को चेतावनी दी कि निर्माण कार्य को चार नवंबर तक अवश्य गिरा दें नहीं तो विभाग इसे ध्वस्तीकरण करेगी और भू-राजस्व के भांति निर्माणकर्ता से वसूली की जायेगी। अभियंता ने बताया कि वरुणा के अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिबंधित निर्माणों को चिह्नित किया गया है और जल्द ही भवन स्वामियों के खिलाफ नोटिस और ध्वस्तीकरण की कारवाई की जायेगी।

आठ बीघा प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं की टीम ने वार्ड रामनगर, जिला चंदौली में मौजा खजुर गांव के पास आठ बिघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दूबे, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची अवैध प्लाटिंग पर हुये निर्माण कार्य को जेसीबी के माध्यम से गिरा दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आपका मेट्रो –दि0 27.10.2024

अवैध निर्माण को प्राधिकरण ने किया सील

वाराणसी (आपका मेट्रो)। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में वरूणा नदी के किनारे से 50 मीटर दूरी तक स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में श्री गोपाल यादव व अन्य द्वारा लगभग 1000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में भूतल पर बैंक्वेट/रेस्टोरेंट हॉल का संचालन टीन सेड डालकर किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.10.2024 को जोनल अधिकारी जोन-1 श्री सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियन्ता श्री अतुल मिश्रा द्वारा सील बंद की कार्यवाही कर थानाध्यक्ष कैण्ट को अभिरक्षा दिया गया है। इस निर्माण के विरूद्ध कारण बाताओ नोटिस निर्गत करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है तथा नियमानुसार निर्माणकर्ता श्री गोपाल यादव को दिनांक 04.11.2024 तक स्वयं ध्वस्त कराकर अवगत कराने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। नियत तिथि तक स्वयं ध्वस्त कराकर अवगत न कराने पर प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्माण को पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराने की कार्य योजना है तथा इसपर आने वाले व्यय भार भी भू-राजस्व की भांति निर्माणकर्ता से वसूल की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 27.10.2024

वीडीए ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 26 अक्टूबर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा 08 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत वार्ड-रामनगर, जिला-चंदौली, थाना-अलीनगर, मौजा-खजूरगाँव के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 08 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 26 अक्टूबर को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री पी.एन.दुबे, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 27.10.2024

प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण किया गया सील एवं नवम्बर तक स्वयं गिराने हेतु दिया गया नोटिस

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में वरूणा नदी के किनारे से 50 मीटर दूरी तक स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में श्री गोपाल यादव व अन्य द्वारा लगभग 1000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में भूतल पर बैंक्वेट/रेस्टोरेंट हॉल का संचालन टीन सेड डालकर किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए 26.अक्टूबर को जोनल अधिकारी जोन-1 सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियन्ता श्री अतुल मिश्रा द्वारा सील बंद की कार्यवाही कर थानाध्यक्ष कैण्ट को अभिरक्षा दिया

गया है। इस निर्माण के विरूद्ध कारण बाताओ नोटिस निर्गत करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है तथा नियमानुसार निर्माणकर्ता श्री गोपाल यादव को 04.11.2024 तक स्वयं ध्वस्त कराकर अवगत कराने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। नियत तिथि तक स्वयं ध्वस्त कराकर अवगत न कराने पर प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्माण को पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराने की कार्य योजना है तथा इसपर आने वाले व्यय भार भी भू-राजस्व की भांति निर्माणकर्ता से वसूल की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 27.10.2024

वरुणा नदी किनारे अवैध निर्माण सील

वाराणसी। अवैध निर्माण के खिलाफ वीडीए ने शनिवार को भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में वरूणा नदी के किनारे से 50 मीटर दूरी तक स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में गोपाल यादव व अन्य की तरफ लगभग 1000 वर्ग मी. क्षेत्रफल पर निर्माण किया जा रहा था। इसे वीडीए ने सील कर निर्माण कर्ता को चार नवंबर तक स्व्यं निर्माण ध्वस्त करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर वीडीए ध्वस्तीकरण पर होने वाले व्यय को भी भू-राजस्व की भांति निर्माणकर्ता से वसूलेगा।

वीडीए ने आठ बीघा प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए का बुलडोजर शनिवार को भी गरजा। रामनगर वार्ड के चंदौली जिले के अलीनगर थानान्तर्गत मौजा खजूरगांव में आठ बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से की जा रही थी। इस बात की जानकारी जब वीडीए को हुई तो मौके पर पहुंचकर ध्वस्त करा दिया। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दुबे, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

सम्पत्ति विवाद में न्यायालय ने खारिज की अपील

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की पांडेयपुर आवासीय योजना, प्रथम चरण फ्लैट संख्या एम. एम. 14 के सम्पत्ति विवाद में न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी है। वादिनी (ममता जयसवाल) ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के खिलाफ उक्त फ्लैट से वादिनी को बेदखल न करने व उक्त फ्लैट के बाबत कोई धनराशि की वसूली न किये जाने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

परफेक्ट मिशन –दि0 27.10.2024

वरूणा किनारे हुए अवैध निर्माण को दिया नोटिस और स्वयं गिराने हेतु दी दस दिन की मोहलत

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरूणा नदी के किनारे 50मीटर दूरी तक स्थित ग्रीन बेल्ट मे क्षेत्रीय निवासी गोपाल यादव व अन्य के द्वारा लगभग 1,000/ वर्गमीटर क्षेत्रफल में भूतल पर बैंक्वेट हॉल का संचालन टिन शेड डालकर किया जा रहा था इस दौरान विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए शनिवार को जोनल अधिकारी जोन-01 सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा द्वारा सील बन्द की कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय थाना प्रभारी कैण्ट की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इस निर्माण के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया तथा निर्माण कर्ता गोपाल यादव को 04 नवंबर 2024 तक स्वयं निर्माण गिराने हेतु आदेश निर्गत किया गया। नियत तिथि के अन्दर स्वयं ध्वस्त कराकर अवगत ना कराने पर प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य को पुलिस बल की सहयोग से ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी इस पर आने वाले व्यय भार की वसूली भी भू राजस्व की भांति निर्माण कर्ता से वसूल की जाएगी।